ऑन लाईन नं.GCMS2022/89

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05 / 2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. पारस अरोड़ा पुत्र श्री सतपाल अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी –वार्ड नम्बर 15, टीचर कॉलोनी के पास, सादुलशहर , मैसर्स विमन लाल एण्ड सन्स, तह बाजारी सादुलशहर।
2. मैसर्स :–विमन लाल एण्ड संस, तह बाजारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. मैसर्स :–गिलखराज सदालाल उपवेजा, 18–19, बड़ा बाजार, P.Box No.9 Sri Ganganagar.
4. मैसर्स :–श्वेता एजेंसी, राजीव गांधी चौंक, हनुमानगढ टाउन।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

:: निर्णय ::

दिनांक : 07.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.09.2021 को दोपहर बाद 1.00 पी. एम पर **मै0** विमन लाल एण्ड संस, तह बाजारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पर पहुचा। मौके पर विक्रेता **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा** को अपना परिचय देकर दुकान / संस्थान पर रखे **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का (विक्रेता एवं मालिक) बताया तथा दुकान में 500–500 ग्राम के 19 पैक डिब्बे **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** में से शुद्धता की जांच हेतु 4 डिब्बे 500-500 ग्राम के विक्रेता से खरीद किय। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 680/ रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** 500 500 ग्राम के 30 पैक डिब्बो मे से 4 डिब्बो के नमूने लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग-अलग भाग मे प्रत्येक का लैबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1193** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1193** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील वपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक : L.S. 319 Act 2021 321 Dated 04-10-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1193 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा मै0** चिमन लाल एण्ड संस, तह बाजारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की उप धारा (III) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनाक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त की तरफ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि :

1. यह कि प्रार्थी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थित M/S विमल लाल एण्ड संस सादुलशहर किरयाना का कार्य करती व मालिक है।
2. यह कि प्रार्थी की फर्म ने दिनांक 14.09.2021 को जरिये बिल संख्या 499 शवेता एजेन्सी श्री राजीव चौक हनुमानगढ से चाय के 500 ग्राम के बन्द पैकेट 320/ रूपये प्रत्येक पैकट के हिसाब से क्रय किये थे उसका बिल फर्म ने प्रार्थी की फर्म को काट कर दिया था जिसकी फोटो की कापी संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिस पर फर्म शवेता एजेन्सी के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने इन पैकटस में बन्द पैकट दिनांक 22.09.2021 को सैम्पल के लिये विक्रय किया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार पैकट मे बन्द चायपती तो " माणक " पाई गयी लेकिन पैकट पर छपी सूचना धारा 26 (III) FSSA 2006 के अनुसार मिसब्राण्ड पाई गई है।
3. यह कि प्रार्थी ने ना तो खुली चाय खरीद की है तथा ना ही खुली चाय बेची है इसलिए इस पैकट पर छपी सूचना के लिये चाय के पैकट बनाने वाली फर्म मिलखराज सदालाल उपवेजा श्रीगंगानगर है। जो इसका जुम्मेवार है क्योकि उक्त सूचना उसी फर्म ने अपने पैकेट पर छापी है। फर्म मिलखराज सदालाल उपवेजा श्रीगंगानगर ने इस चाय के पैकेट को अपने नाम से छपवा कर चाय का पैकेट बना कर बेचा है तथा पैकेट पर सूचना छापी है। मिलखराज सदालाल उपवेजा श्रीगंगानगर का स्टोकिस्ट तथा थोक विक्रेता M/S शवेता एजेन्सी हनुमानगढ टाउन का है जिससे प्रार्थी अभियुक्त फर्म ने उक्त UTC चाय के बन्द पैकेट खरीदे गये थे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि फर्म मिलखराज सदालाल उपवेजा श्रीगंगानगर जिसने उक्त चाय के पैकट छपवाकर चाय बन्द पैकेट पर बेची है तथा सभी प्रकार की सूचना सही प्रकार से नही छापी जिसके कारण प्रार्थी की दुकान से लिया गया सैपल " मिसब्राण्ड " की परिभाषा मे आया है को इस मुकदमा में सहअभियुक्त बनाया जावे।

इसके साथ साथ फर्म शवेता एजेन्सी हनुमानगढ टाउन जिससे प्रार्थी अभियुक्त फर्म ने चाय के उक्त पैकेट बिल संख्या 499 दिनांक 14.9.2021 को खरीदे थे। यह फर्म श्रीगंगानगर की फर्म मिलखराज सदालाल उपवेजा की स्टोकिस्ट व थोकविक्रेता है जिसका बिल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, को भी सहअभियुक्त बनाया जावे क्योकि कानून निर्माता, स्टोकिस्ट तथा विक्रेता तीनो ही मिसब्राण्ड वस्तु को बनाने व रखने तथा विक्रय करने के दोषी माने जाते है।

अभियुक्त की तरफ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि :

1. यह कि प्रार्थी फर्म मै0 मिलखराज सदालाल उपवेजा के नाम से चाय का होलसेल का व्यवसाय करती है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन न.GCMS2022/89

2. यह कि प्रार्थी फर्म द्वारा UTC TEA के नाम से चाय को पैक कर बाजार में बेचा जाता है। प्रार्थी फर्म द्वारा नियमानुसार प्राधिकृत संस्थाओं/एजेन्सियों से इस सम्बन्ध में Food license No जारी करवाया हुआ है। जिसका FSSAI LIC No. 12214024000194 है।

3. यह कि प्रार्थी फर्म द्वारा चाय UTC TEA के सम्बन्ध में दिनांक 22.04.2021 को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जो कि परिवाद के साथ सलग्न Public Health Laboraatory, Bikaner, Rajasthan की रिपोर्ट दिनाक 04.10.2021 के अनुसार चाय की क्वालिटी (निम्न स्तर या बाहरी पदार्थ) के सम्बन्ध में तो मानक/सही पाये गये परन्तु खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(I) के अनुसार UTC TEA का पैकेज , अधिनियम के नियमो की अनुपालना में सही नही था। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी फर्म द्वारा पैक UTC TEA के पैकेज पर नियमों की पालना में सभी तरह की सूचनाये अंकित की गई थी तथा किसी भी नियम का उल्लंधन नहीं किया गया किया गया था। प्रार्थी फर्म द्वारा अपना FSSAI LIC No स्पष्ट रूप से उस पर अंकित करवाया गया था, जिसकी प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परिवाद में अथवा लैबोरेट्री की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से कहीं भी अंकित नही है कि अभियुक्त फर्म द्वारा किन नियमों का उल्लंधन करते हुए कौनसी जानकारियों को पैक पर अंकित नही करवाया है। जानकारी के अभाव में अभियुक्त द्वारा अपना पूरा पक्ष रख, बचाव करना सम्भव नही हो पा रहा है, जो कि प्राकृतिक नियमो के सिद्धान्तों के खिलाफ है।

अतः बचाव का अपना अधिकर सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सम्बन्धित प्राधिकारी को अभियुक्त संख्या–3 के विरूद्ध वादकारण प्राप्त नही होने के कारण व अभियुक्त संख्या–3 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नियमो की अवहेलना ना की होने के कारण उक्त परिवाद को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

परिवाद पर दोनो पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **चाय (यूटीसी ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1193** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./319/Act 2021 321 Dated 04-10-2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी फर्म की चाय UTC TEA के सम्बन्ध में दिनाक 22.04.2021 को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जो कि परिवाद के साथ सलग्न Public Health Laboraatory, Bikaner, Rajasthan की रिपोर्ट दिनाक 04.10.2021 के अनुसार चाय की क्वालिटी (निम्न स्तर या बाहरी पदार्थ) के सम्बन्ध में तो मानक/सही पाये गये परन्तु खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(I) के अनुसार UTC TEA का पैकेज , अधिनियम के नियमों की अनुपालना में सही नहीं था। प्रार्थी फर्म द्वारा पैक UTC TEA के पैकेज पर नियमों की पालना में सभी तरह की सूचनायें अंकित की गई थी तथा किसी भी नियम का उल्लंधन नही किया गया किया गया था। प्रार्थी फर्म द्वारा अपना FSSAI LIC No. स्पष्ट रूप से उस पर अंकित करवाया गया था, जिसकी प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परिवाद में अथवा लैबोरेट्री की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से कहीं भी अंकित नही है कि अभियुक्त फर्म द्वारा किन नियमों का उल्लंधन करते हुए कौनसी जानकारियों को पैक पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अंकित नही करवाया है। जानकारी के अभाव में अभियुक्त द्वारा अपना पूरा पक्ष रख, बचाव करना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जो कि प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृपया करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Tea (UTC)" bearing Code No and Sr. No. K-1193, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(e)(i) of Food safety and Standards Act-2006 की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा एवं फर्म श्वेता एजेंसी, राजीव गांधी चौंक, हनुमानगढ टाउन** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा एवं फर्म श्वेता एजेंसी, राजीव गांधी चौंक, हनुमानगढ टाउन** को खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये दस-दस हजार कुल 20,000-00 (अखरे रूपये बाहर हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **पारस अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा एवं फर्म श्वेता एजेंसी, राजीव गांधी चौंक, हनुमानगढ टाउन** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर